कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी

प्रेषक,

उप निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
एस–2/627, बी–1–ग, सेन्ट्रल जेल रोड, सिकरौल
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

संख्या– पेंशन/वारा0/उ0नि0/ 97 दिनांक 25-02-2025

विषय : श्रीमती रामप्यारी देवी, सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका एवं अन्य प्रपत्रों में पायी गई त्रुटियों के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पालिका के पत्र संख्या–778/23–पेंशन उपादान/न0पा0प0 दिनांक 28.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्रीमती रामप्यारी देवी, सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी की सेवापुस्तिका एवं अन्य प्रपत्र इस कार्यालय के पूर्व पत्र सं0–उ0नि0/462 दिनांक–22.08.2022 के अनुक्रम में पेंशन एवं उपदान धनराशि की पुष्टि हेतु प्रेषित किया गया है। सेवापुस्तिका एवं अन्य प्रपत्रों में पायी गई निम्नलिखित त्रुटियों का समुचित निराकरण कराया जाना अपेक्षित है।

1– श्रीमती रामप्यारी देवी की सेवापुस्तिका में अंकन के अनुसार इनकी जन्म तिथि 06.09.1955 के दृष्टिगत अधिवर्षतावय पूर्ण होने की तिथि 30.09.2015 बनती है, किन्तु पेंशन पत्रावली विलम्ब से भेजे जाने के कारण सक्षम अधिकारी से छूट प्राप्त किये जाने सम्बन्धी पालिका का पत्र संख्या–718/23–पेंशन उपादान/न0पा0प0गा0 दिनांक 17.01.2025, जो आयुक्त महोदय को प्रेषित है, में उल्लिखित है कि श्रीमती रामप्यारी देवी को दिनांक–30.09.2015 को सेवा निवृत्त होना चाहिए था, किन्तु तत्समय लगातार सम्बन्धित पटल परिवर्तन होने के कारण इनकी सेवा निवृत्ति निर्धारित तिथि पर नहीं हो सकी। उक्त पत्र में यह उल्लिखित नहीं है कि श्रीमती रामप्यारी देवी को वास्तव में किस दिनांक को सेवा निवृत्त किया गया। श्रीमती रामप्यारी देवी को दिनांक 30.09.2015 (अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि) के उपरांत किस तिथि तक वेतन का भुगतान किया गया, के सम्बन्ध में न तो आयुक्त महोदय को प्रेषित उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 17.01.2025 में ही उल्लेख किया गया एवं न ही इनकी सेवापुस्तिका में अंकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया इतने महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर पालिका द्वारा पेंशन पत्रावली में हुए विलम्ब से छूट प्रदान करने के लिए आयुक्त महोदय के समक्ष प्रकरण को सन्दर्भित किया जाना परिलक्षित होता है। आयुक्त महोदय के पत्र संख्या–785/21–13(2009–12) स्था0नि0स0–1 दिनांक 23 जनवरी 2025 द्वारा पेंशन लाभ दिये जाने में विलम्ब की छूट की स्वीकृति प्रदान किये जाने

के उपरान्त श्रीमती राम प्यारी देवी से सम्बन्धित प्रेषित पेंशन सम्बन्धी प्रपत्र के साथ इनको सेवानिवृत्त किये जाने सम्बन्धी पालिका द्वारा जारी आदेश की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। पालिका द्वारा निर्गत सेवानिवृत्ति आदेश की प्रविष्टि सेवापुस्तिका में अंकित प्रति कराते हुए प्रति चस्पा करायी जाय। श्रीमती रामप्यारी देवी को इनकी अधिवर्षतावय दिनांक 30.09.2015 के उपरान्त सेवा कराये जाने एवं वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। पालिका द्वारा प्रेषित पेशन प्रपत्र में दिनांक 01.10.2015 से देय पेंशन प्रस्तावित किया गया है जबकि अधिवर्षता आयु दिनांक–30.09.2015 को सेवानिवृत्त न किये जाने के कारण आगे के माहों में भी वेतन भुगतान होने से एक ही अवधि हेतु वेतन एवं पेंशन दोनों के भुगतान की परिलक्षित स्थिति के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

2– श्रीमती रामप्यारी देवी की सेवापुस्तिका में उल्लिखित नियुक्ति आदेश संख्या–237 दिनांक 31.08.2000 के द्वारा वेतनमान 2550–55–2660–60–3200 में सफाई कर्मचारी के पद पर मृतक आश्रित के रुप में की गई एवं कार्यभार ग्रहण के पश्चात् दिनांक 07.09.2000 से वेतन प्रदान किया गया। सेवापुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार श्रीमती रामप्यारी देवी को दिनांक 07.09.2000 को रु0. 2550/– मूल वेतन के उपरान्त अनुवर्ती वार्षिक वेतन वृद्धियां दिये जाने के फलस्वरुप दिनांक 07.09.2004 को इनका मूल वेतन 2780/– निर्धारित किया गया जो सही था। अगली वेतन वृद्धि दिये जाने पर दिनांक 01.09.2005 को मूल रू0. 2840/– के स्थान पर रु0 2960/– (दो वेतन वृद्धि अधिक) दिया गया एवं तद्नुसार की आगामी वेतन वृद्धियां एवं छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण भी किया गया। दिनांक–01.09.2005 को मूल वेतन रू0. 2840/– के स्थान पर रू0. 2960/– (दो वेतन वृद्धि अधिक) दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में इसमें संशोधन करते हुए तद्नुसार पेंशन प्रपत्र तैयार कराया जाय एवं अधिक भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

3. श्रीमती रामप्यारी देवी की सेवा पुस्तिका में अंगुलियों के निशान अंकित है लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा इसे प्रमाणित/सत्यापित नहीं किया गया है। इसे सक्षम अधिकारी से प्रमाणित/सत्यापित कराया जाना अपेक्षित है।

अतएव श्रीमती रामप्यारी देवी सेवानिवृत्त सफाईकर्मी की सेवापुस्तिका, पेंशन प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में निराकरण करने के उपरान्त प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

संलग्नकः– यथोपरि।

(शरद नारायण मिश्र)
उप निदेशक

पृष्ठांकन संख्या– पेंशन/वारा0/उ0नि0/ 97(1) दिनांक 25-02-2025

प्रतिलिपिः– आयुक्त महोदय वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(शरद नारायण मिश्र)
उप निदेशक